**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,**
**PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI**

**EXECUTION APPLICATION NO. 66 OF 2025**
**IN**
**ORIGINAL APPLICATION NO. 492 OF 2022**

**IN THE MATTER OF:**
**GREEN WOOD CITY VILLA JAN WELFARE SOCIETY & ANR.**
**… APPLICANT**

**VERSUS**

**GODWIN CONSTRUCTION COMPANY PVT. LTD. & ORS.**
**... RESPONDENTS**

**INDEX** **N.D.O.H.: 16.01.2026**


| SL. NO. | PARTICULARS | PAGES |
|---|---|---|
| 1. | Affidavit in Compliance of order dated 17.12.2025 on behalf of U.P. Pollution Control Board. | 1 – 3 |
| 2. | **ANNEXURE-1**<br>True copies of the letter dated 06.01.2026. | 4 – 6 |


**NEW DELHI**
**DATED: 15.01.2026**


**(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)**
Counsel for U.P. Pollution Control Board
138, New Lawyers Chamber,
Supreme Court of India,
New Delhi-110001
(M.) 9810252518
Email: pradeepmisra@yahoo.com

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**EXECUTION APPLICATION NO. 66 OF 2025
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 492 OF 2022**

**IN THE MATTER OF:**

**GREEN WOOD CITY VILLA JAN
WELFARE SOCIETY THROUGH
ITS PRESIDENT RAVINDRA SINGH.....APPLICANT**

**VERSUS**

**GODWIN CONSTRUCTION COMPANY
PVT. LTD. THROUGH ITS DIRECTOR
& ORS. .....RESPONDENTS**

**AFFIDAVIT IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 17.12.2025**

I, Rajendra Prasad, S/o. late Shri Vishnu Ram, aged about 58 years, Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Meerut, U.P. do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That I in the abovenoted capacity, am well conversant with the facts and records of the present case and being authorized by U.P. Pollution Control Board, hence am competent to swear this affidavit.

2. The abovenoted matter came up for hearing on 17.12.2025 when this Hon'ble Tribunal has permitted the Respondent Nos. 2, 3, 4 and 6 to file further compliance report.

3. That in compliance of the said order present affidavit is being filed.

4. That as far as the recovery of Environmental Compensation from the Respondent No. 1 is concerned, the answering Respondent has requested the Respondent No. 2, Secretary, MDA and the Respondent No. 5, Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Meerut to provide the details/particulars of the immovable property qua the Respondent No. 1 vide its letter dated 06.01.2026 respectively. However, the information sought from the Respondent Nos. 2 and 5 are awaited. It is further submitted that the information has been sought pursuant to a communication received from the office of the ADM whereby the ADM vide his letter dated 06.01.2026 has sought the information regarding the properties of the Respondent No. 1 for the purpose of recovery in terms of the Recovery Certificate. True copies of the letter dated 06.01.2026 are enclosed herewith and marked as **Annexure-1 (Colly).**

5. That as far as the question of prosecution of respondent no.1 is concerned, though it was initiated but observed that the same is not possible in the present circumstances as the respondent no.1 has already been resolved prior to the passing of the order of this Hon'ble Tribunal dated 04-03-2025.

6. That the present affidavit is being filed for kind consideration of this Hon'ble Tribunal and the answering

Respondent is duty bound to obey each and every direction of this Hon'ble Tribunal.

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at Meerut on this the 14 day of January, 2026 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY N.K. GIRI Advocate Reg. No. 3222/05 GOVT. OF INDIA

DEPONENT

ATTESTED NOTARY
N. K. GIRI
Advocate, Meerut
Reg. No.-3222/05
14/01/26

Phone :- 0121-2577676
Email id :- romeerut@uppcb.in

**ANNEXURE – 1**

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पॉकेट–TC–3/2, पल्लवपुरम फेज–II, मोदीपुरम, मेरठ–250110

पत्रांक– 1651/G/OA-492/2022/MRT/2026 दिनांक– 06/01/2026

सेवा में,

सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

**विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–492/2022 में पारित आदेश दिनांक–04/03/2025 के अनुपालन के संबंध में ।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–492/2022 में पारित आदेश दिनांक–04/03/2025 के अंश निम्नवत हैं–

*"83. In view of the above, we dispose of this OA with the following directions:*
*(III) We direct respondent 1 (project proponent), as an interim measure, to pay environmental compensation of Rs.10 Crores and deposit the same within three months with respondent 3 i.e., UPPCB.*

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 10.0 करोड़ को प्राप्त किये जाने हेतु सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक–एच29452/सी–3/एनजीटी–293/2025 दिनांक–23/06/2025 द्वारा मै0 गाडविन कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रा0लि0, मेरठ तथा उनके डायरेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह एवं श्री भूपेन्द्र सिंह कार्यालय–ग्रीनवुड सिटी, नीयर गाडविन होटल, बागपत बाईपास रोड, मेरठ से वसूली किये जाने हेतु पत्र जिलाधिकारी महोदय, मेरठ को प्रेषित किया गया था। तत्क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड , मेरठ के पत्रांक–486/जी/ओ0ए0–492/2022/एमआरटी/2025 दिनांक–28/06/2025 द्वारा उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि की वसूली हेतु पत्र अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), मेरठ को प्रेषित किया गया था। अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), मेरठ के पत्रांक–890/सीआरए/आर0सी0–प्रथम/2025–26 दिनांक–06/01/2026 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा संबंधित बाकीदार/फर्म की सम्पत्ति के संबंध में नगर निगम, मेरठ एवं विकास प्राधिकरण, मेरठ से स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर वसूली मांग पत्र/आर0सी0 की वसूली कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त के कम में आपसे अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण में संबंधित बाकीदार फर्म मै0 गाडविन कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रा0लि0, मेरठ तथा उनके डायरेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह एवं श्री भूपेन्द्र सिंह कार्यालय–ग्रीनवुड सिटी, नीयर गाडविन होटल, बागपत बाईपास रोड, मेरठ की संपत्ति के संबंध में विवरण/सूचना अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), मेरठ एवं इस कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे कि अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचना ससमय प्रेषित की जा सके।

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ई0ए0 संख्या–66/2025 इन ओ0ए0 संख्या–492/2022 में अग्रिम सुनवाई तिथि दिनांक–16/01/2026 में नियत है।
संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(राजेन्द्र प्रसाद)
क्षेत्रीय अधिकारी

**प्रतिलिपि**– निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित–
1. जिलाधिकारी महोदय, मेरठ को सादर अवलोकनार्थ।
2. अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), मेरठ को उनके पत्र दिनांक–06/01/2026 के अनुकम में सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

Phone :- 0121-2577676
Email id :- romeerut@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पॉकेट–TC–3/2, पल्लवपुरम फेज–II, मोदीपुरम, मेरठ–250110

पत्रांक– 1652/Q/OA·492/2022/MRT/2026 दिनांक– 06-01-26

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
मेरठ।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–492/2022 में पारित आदेश दिनांक–04/03/2025 के अनुपालन के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–492/2022 में पारित आदेश दिनांक–04/03/2025 के अंश निम्नवत हैं–

*83. In view of the above, we dispose of this OA with the following directions:*
*(III) We direct respondent 1 (project proponent), as an interim measure, to pay environmental compensation of Rs.10 Crores and deposit the same within three months with respondent 3 i.e., UPPCB.*

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 10.0 करोड़ को प्राप्त किये जाने हेतु सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक–एच29452/सी–3/एनजीटी–293/2025 दिनांक–23/06/2025 द्वारा मै0 गाडविन कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रा0लि0, मेरठ तथा उनके डायरेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह एवं श्री भूपेन्द्र सिंह कार्यालय–ग्रीनवुड सिटी, नीयर गाडविन होटल, बागपत बाईपास रोड, मेरठ से वसूली किये जाने हेतु पत्र जिलाधिकारी महोदय, मेरठ को प्रेषित किया गया था। तत्क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ के पत्रांक–486/जी/ओ0ए0–492/2022/एमआरटी/2025 दिनांक–28/06/2025 द्वारा उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि की वसूली हेतु पत्र अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), मेरठ को प्रेषित किया गया था। अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), मेरठ के पत्रांक–890/सीआरए/आर0सी0–प्रथम/2025–26 दिनांक–06/01/2026 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा संबंधित बाकीदार/फर्म की सम्पत्ति के संबंध में नगर निगम, मेरठ एवं विकास प्राधिकरण, मेरठ से स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर वसूली मांग पत्र/आर0सी0 की वसूली कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण में संबंधित बाकीदार फर्म मै0 गाडविन कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रा0लि0, मेरठ तथा उनके डायरेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह एवं श्री भूपेन्द्र सिंह कार्यालय–ग्रीनवुड सिटी, नीयर गाडविन होटल, बागपत बाईपास रोड, मेरठ की संपत्ति के संबंध में विवरण/सूचना अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), मेरठ एवं इस कार्यालय को तत्काल प्राप्त कराने का कष्ट करें जिससे कि अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचना ससमय प्रेषित की जा सके।

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ई0ए0 संख्या–66/2025 इन ओ0ए0 संख्या–492/2022 में अग्रिम सुनवाई तिथि दिनांक–16/01/2026 में नियत है।
संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(राजेन्द्र प्रसाद)
क्षेत्रीय अधिकारी

**प्रतिलिपि**– निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित–

1. जिलाधिकारी महोदय, मेरठ को सादर अवलोकनार्थ।
2. अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), मेरठ को उनके पत्र दिनांक–06/01/2026 के अनुक्रम में सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

91

कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ।
(संग्रह अनुभाग)

संख्या 890 /सी0आर0ए0/आर0सी0–प्रथम/2025–26 दिनॉक 06.01.2026

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पॉकेट–TC –3/2 पल्लवपुरम फेज–II मोदीपुरम मेरठ।

कृपया अपने कार्यालय के पत्रॉक 486/G/OA-492/2022/MRT/2025 दिनॉक 28–06–2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित OA no, 492/2022 Green Wood City Villa Jan Welfare Society & Anr Versus Godwin Construction Company Pvt. Meerut & Ors. में पारित आदेश दिनॉक 04–03–2025 के द्वारा वाद में Respondent-1 (Project Proponent) GODWIN CONSTRUCTION COMPANY PVT.LTD. MEERUT Through its Directors-(i) Shri Jitendra Singh and Shri Bhupendra Singh. Office at Green Wood City Near Dodwin Hotel Baghpat By-Pass Road Meerut पर कुल 10.00 करोड रूपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है एवं इस संबंध में बोर्ड मुख्यालय द्वारा जिलाधिकारी महोदय मेरठ को पत्रॉक एच29452/सी–3/एनजीटी–293/2025 दिनॉक 23.06.2025 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु पत्र प्रेषित किया गया। जिसके संबंध में तहसीलदार मेरठ द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में प्रेषित रिपोर्ट दिनॉक 30.10.2025 में उल्लेख किया गया है कि क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण बोर्ड पल्लवपुरम मेरठ द्वारा निर्गत वसूली मॉग पत्र संख्या 01/11–07–2025 जिलाधिकारी महोदय मेरठ के कार्यालय में वसूली हेतु प्राप्त हुआ। प्रश्नगत वसूली मॉग पत्र में बाकीदार उपरोक्त को नियमानुसार आर0सी0 प्रपत्र–36 दिनॉक 17.07.2025 को जारी कर तामील कराया गया। बाकीदार द्वारा निर्धारित समयावधि के अर्न्तगत बकाया धनराशि का भुगतान नही किया गया। अतः वसूली हित में बाकीदार उपरोक्त की मॉग पत्र में उल्लिखित सम्पत्ति/मकान के स्वामित्व/चल/अचल सम्पत्ति के संबंध मे राजस्व निरीक्षण/लेखपाल तहसील मेरठ से आख्या प्राप्त की गयी। क्षेत्रीय लेखपाल 'राजस्व निरीक्षक तहसील मेरठ द्वारा अपनी आख्या उपलब्ध कराते हुए उल्लेख किया गया कि राजस्व ग्राम मलियाना तहसील व जिला मेरठ के खसरा संख्या 1628मि0 रकबा 0.7080है0 पर मैसर्स गाडविन कन्सट्रक्शन प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर भूपेन्द्र सिंह बाजवा पुत्र गुरुवचन सिंह का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज तो है परन्तु प्रश्नगत सम्पत्ति पूर्व में विकय की जा चुकी है और स्थलीय निरीक्षण में मौके पुरानी आवासीय कालौनी बनी हुई है। इसके अतिरिक्त कर अधीक्षक नगर निगम मेरठ से भी जानकारी प्रापत की गयी। कर अधीक्षक नगर निगम मेरठ द्वारा अपनी आख्या में अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत सम्पत्ति मॉग पत्र में उल्लिखत बाकीदार/फर्म के नाम से न होकर होटल गाडविन, मै0 गोल्डन आयल सर्विस एवं गाडविन पब्लिक स्कूल के नाम से अभिलेखों में दर्ज है। श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा बताया गया कि कम्पनी के बैंक खाते वर्ष 2021 में बैंकों के साथ लेन–देन पूर्ण कर बन्द कर दिये गये थे, तदोपरान्त कम्पनी समाप्त कर दी गयी थी। उनके द्वारा यह भी जानकारी प्राप्त करायी गयी कि भारत सरकार के कम्पनी मामलों के मंत्रालय द्वारा भी इस कम्पनी का अस्तित्व समाप्त कर कम्पनी डी–लिस्ट की जा चुकी है। उपरोक्त कथनों के आधार पर उनके द्वारा जो साक्ष्य उपलब्ध कराये गये है वह संलग्न है।

चूंकि बाकीदार/फर्म वर्तमान में संचालित नही है। अतः ऐसी स्थिति में मॉग पत्र में उल्लिखित प्रश्नगत कम्पनी मै0 गॉडविन कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0 मेरठ से मॉग पत्र में निहित धनराशि को वसूल कर पाना सम्भव नही हो पा रहा है।

चूंकि प्रश्नगत प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन है तथा सुनवाई हेतु आगामी तिथि 16–01–2026 नियत है।

अतः आप उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत प्रकरण में संबंधित बाकीदार/फर्म की सम्पत्ति के संबंध में नगर निगम मेरठ एवं मेरठ विकास प्राधिकरण से स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर वसूली मॉग–पत्र/आर0सी0 की वसूली कराये जाने हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुपालन में समयान्तर्गत संबंधित बाकीदार/फर्म से वसूली संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जा सके।

CO/AEE
6/1/2026

06/01/25

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
मेरठ।

ATTESTED NOTARY
N. K. SIRI
Advocate, Meerut
Reg. No. 3222/05

संख्या व दिनॉक यथोक्त।
प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय मेरठ को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
मेरठ।